



पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में गन्ना भुगतान की भूमिका का अध्ययन

Monu Nagar

Research Scholar, Chaudhary Charan Singh University Meerut

Dr. Swati Sharma

Assistant Professor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut UP

सार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जहाँ बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए गन्ना खेती पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में गन्ना भुगतान प्रणाली किसानों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक जीवन और जीवन-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में गन्ना भुगतान की भूमिका का विश्लेषण करना है, ताकि यह समझा जा सके कि समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान किस प्रकार किसानों की आय, उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर गन्ना भुगतान की समय सीमा, भुगतान माध्यम, भुगतान में होने वाली देरी तथा उससे उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। शोध में यह पाया गया कि समय पर गन्ना भुगतान मिलने से किसानों की नकदी स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे वे कृषि निवेश, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति और ऋण अदायगी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसके विपरीत, भुगतान में विलंब किसानों को अनौपचारिक ऋण लेने, ब्याज के बोझ में फँसने और आर्थिक असुरक्षा का सामना करने के लिए विवश करता है। अध्ययन के निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है, किंतु सभी किसानों तक इसके लाभ समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गन्ना भुगतान प्रणाली में समयबद्धता, जवाबदेही और किसान-जागरूकता बढ़ाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन-स्तर और सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: गन्ना उत्पादक, किसानों, गन्ना, भूमिका

परिचय

पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और बिजनौर जैसे जनपद गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जो लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। गन्ना उत्पादन न केवल कृषि आय का स्रोत है, बल्कि इससे जुड़े चीनी मिल, गुड़-खांडसारी, परिवहन एवं श्रम जैसे सहायक क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में गन्ना

भुगतान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गन्ना फसल की कटाई और आपूर्ति के बाद किसानों को मिलने वाला भुगतान उनकी वार्षिक आय का बड़ा हिस्सा होता है, जिससे वे कृषि निवेश, पारिवारिक खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। समय पर और पूर्ण भुगतान न केवल किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य की खेती संबंधी योजनाओं को भी प्रभावित करता है। हालाँकि सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण (एसएपी/एफआरपी), भुगतान की समय-सीमा तथा कानूनी प्रावधान तय किए गए हैं, फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान में विलंब एक गंभीर समस्या के रूप में उभरती रही है। कई बार चीनी मिलों की वित्तीय कठिनाइयाँ, प्रशासनिक शिथिलता और प्रक्रियात्मक जटिलताएँ किसानों को समय पर भुगतान प्राप्त करने से वंचित कर देती हैं। इसका सीधा प्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे वे कर्ज़, ब्याज और सामाजिक तनाव का सामना करने को विवश होते हैं। वर्तमान समय में डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों को लागू कर गन्ना भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी सभी किसानों तक इन उपायों का समान लाभ नहीं पहुँच पाया है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में गन्ना भुगतान की भूमिका का गहन अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि गन्ना भुगतान किस प्रकार किसानों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन-स्थितियों को प्रभावित करता है तथा भुगतान प्रणाली में सुधार के लिए कौन-से उपाय अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।

अध्ययन की उद्देश्य

प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-

1. गन्ना भुगतान में सरकार की नीतियों योजनाओं और अनुवृत्तियों की भूमिका का अध्ययन
2. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में गन्ना भुगतान की भूमिका का अध्ययन।
3. शोध अध्ययन के आधार पर तर्क सम्मत निष्कर्ष निकालना तथा गन्ना भुगतान प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।)

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन सहकारी गन्ना समितियों की कार्यप्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, सरकारी नियंत्रण तंत्र, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया और किसानों व मिलों के बीच संविदात्मक संबंधों को समझने का भी अवसर प्रदान करेगा। इससे गन्ना भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और किसान-हितैषी बनाने की दिशा में ठोस रणनीतियाँ तैयार की जा सकेंगी। अंततः यह अध्ययन गन्ना उत्पादन एवं भुगतान तंत्र में मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक नीतिगत सुधारों को दिशा देने में सहायक होगा, जिससे ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

किसान पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया

किसान पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया, गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली का पहला परिचालन चरण है। यह प्रक्रिया किसानों के पंजीकरण से शुरू होती है, जो आमतौर पर पेराई सत्र शुरू होने से पहले किया जाता है। किसान या तो

सीधे चीनी मिल में या सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकरण कराते हैं जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। पंजीकरण के दौरान, विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, जिसमें किसान के भूमि स्वामित्व या पट्टे के दस्तावेज़, खेती के क्षेत्र का आकार, बोए गए गन्ने का प्रकार और किस्म, और अपेक्षित उपज शामिल होती है। यह डेटा मिलों को अपनी पेराई क्षमता की योजना बनाने और गन्ने की आपूर्ति को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्पादन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे।

भारत के अधिकांश राज्य एक ज़ोनिंग प्रणाली का पालन करते हैं, जिसके तहत प्रत्येक चीनी मिल को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र आवंटित किया जाता है जहाँ से वह गन्ना खरीद सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक किसान के पास एक गारंटीकृत खरीदार हो और मिलों को समान आपूर्तिकर्ताओं के लिए आक्रामक प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है, जिससे खरीद में अराजकता हो सकती है। ज़ोनिंग प्रणाली कुशल परिवहन योजना बनाने में भी मदद करती है और बर्बादी को कम करती है, क्योंकि गन्ना एक नाशवान वस्तु है जिसे कटाई के तुरंत बाद संसाधित किया जाना चाहिए ताकि इसकी सुक्रोज सामग्री बनी रहे। पंजीकरण पूरा होने के बाद, मिल किसानों को कटाई के आदेश या परमिट जारी करती है। ये आदेश उस तिथि और समय को निर्दिष्ट करते हैं जिस पर किसानों को अपना गन्ना काटकर मिल तक पहुँचाना होगा। यह समय-निर्धारण प्रणाली मिलों को पेराई इकाई पर अधिक भार डाले बिना या उसे निष्क्रिय पड़े बिना कच्चे माल की निरंतर आवक बनाए रखने की अनुमति देती है, जिससे संचालन अनुकूलित होता है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होते हैं।

गुणवत्ता मूल्यांकन और वसूली-आधारित भुगतान

किसानों द्वारा वितरित गन्ने की गुणवत्ता, निकाली जा सकने वाली चीनी की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और इसलिए भुगतान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिलें आपूर्ति किए गए गन्ने का गुणवत्ता मूल्यांकन करती हैं ताकि सुक्रोज की मात्रा, नमी का स्तर और रेशे की मात्रा जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जा सके। ये मानक वसूली प्रतिशत निर्धारित करते हैं, जो प्रसंस्कृत गन्ने के वजन के मुकाबले निकाली गई चीनी का अनुपात होता है।

भुगतान तंत्र और समय-सीमा

गन्ना खरीद प्रणाली में भुगतान तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किसानों को उनका बकाया समय पर मिले। भुगतान आमतौर पर दो किस्तों में किया जाता है। पहली किस्त, जो कुल राशि का एक बड़ा हिस्सा होती है, कानूनी रूप से निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की जानी चाहिए - आमतौर पर डिलीवरी की तारीख से 14 दिन। दूसरी किस्त बाद में भुगतान की जाती है, आमतौर पर चीनी और उप-उत्पादों की बिक्री के बाद और मिल को अपनी राजस्व स्थिति की स्पष्ट समझ हो जाने के बाद।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर गन्ना भुगतान प्रणाली का प्रभाव

गन्ना भुगतान प्रणाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर जैसे ज़िले गन्ने की खेती पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जहाँ 70% से ज़्यादा किसान अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में इस पर निर्भर हैं। यह उद्योग न केवल किसानों को सीधे तौर पर सहायता

प्रदान करता है, बल्कि परिवहन, श्रम और लघु कृषि आधारित उद्योगों जैसे संबद्ध क्षेत्रों को भी सहारा देता है, जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाता है।

हालाँकि, गन्ने की भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से चीनी मिलों द्वारा भुगतान का समय और पर्याप्तता, किसानों और ग्रामीण समाज के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। विलंबित या आंशिक भुगतान एक सतत समस्या रही है। राज्य सरकार के आँकड़ों और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, बकाया राशि कई हज़ार करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, और भुगतान में देरी कभी-कभी गन्ना आपूर्ति के बाद भी महीनों तक जारी रहती है। इससे कृषि चक्र बाधित होता है, क्योंकि किसान अगली फसल के लिए समय पर बीज, उर्वरक और अन्य सामग्री नहीं खरीद पाते। कई मामलों में, उन्हें स्थानीय साहूकारों जैसे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर अत्यधिक ब्याज दरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे वे ऋणग्रस्तता के चक्र में फँस जाते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान में सरकार की भूमिका का अध्ययन

उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों, खासकर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत जैसे पश्चिमी जिलों में, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान को विनियमित करने और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्षेत्र राज्य के प्रमुख गन्ना उत्पादकों में से हैं और भुगतान प्रणालियों की दक्षता लाखों किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियाँ बनाई हैं। गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1953 के अनुसार चीनी मिलें गन्ना वितरण के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करेंगी। इसे लागू करने के लिए, सरकार ने 2017 में एस्को खाता व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत मिलों को भुगतान की गारंटी के लिए एक निर्दिष्ट खाते में धनराशि जमा करनी होती है। इसके अतिरिक्त, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग भुगतान की निगरानी और सुगमता के लिए चीनी मिलों और सहकारी समितियों के साथ समन्वय करता है। गन्ना विकास सहकारी समितियाँ मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।

राज्य सरकार ने गन्ना क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। 2024-25 के बजट में, गन्ना बकाया राशि के समय पर भुगतान के लिए विशेष रूप से ₹475 करोड़ निर्धारित किए गए थे। यह आवंटन भुगतान में देरी को दूर करने और किसानों की वित्तीय स्थिरता को सहारा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ

भारत सरकार ने गन्ना किसानों और गन्ना उद्योग, दोनों को समर्थन देने के लिए कई नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य एक स्थिर और कुशल चीनी बाज़ार बनाए रखते हुए किसानों के लिए उचित आय सुनिश्चित करना है। इनमें से एक प्रमुख व्यवस्था उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) है, जो मिलों को आपूर्ति किए जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। उत्पादन लागत, बाज़ार की स्थिति और मिलों की लाभप्रदता जैसे कारकों के आधार

पर FRP की वार्षिक समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज पर उचित लाभ मिले। इसके अलावा, कुछ राज्य राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) की घोषणा करते हैं, जो अक्सर FRP से अधिक होता है, जिससे किसानों की आय और अधिक सुरक्षित होती है।

शोध पद्धति

शोध कार्य को उसकी परिणति तक पहुँचाने के लिए विभिन्न शोध प्रविधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तुत शोध विषय के अनुरूप वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तावित शोध में वर्णनात्मक शोध के बाद अन्वेषणात्मक अनुसंधान शामिल होगा। अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उपयोग भुगतान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन और गहराई से विश्लेषण एवं अनुसंधान प्रश्नों और अध्ययन को विकसित करने में किया जायेगा। भुगतान प्रणाली द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों एवं मिलों पर होने वाले अध्ययन के लिए प्रश्नावली तैयार की जायेगी। प्रश्नावली को सुदृढ़ करने के लिए अन्वेषण अनुसंधान आयोजित किया जायेगा।

अनुसंधान एवं विकास:

भारत में गन्ना उद्योग की उत्पादकता, स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ाने में अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और उससे संबद्ध संस्थान, जिनमें गन्ना प्रजनन संस्थान (SBI) भी शामिल है, उच्च उपज देने वाली, रोग-प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी गन्ना किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में फसल प्रबंधन पद्धतियों में सुधार, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण भी शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से इनपुट लागत को कम करते हैं और किसानों की आय में वृद्धि करते हैं। आधुनिक नवाचार जैसे सिंगल बड चिप तकनीक, सटीक कृषि उपकरण और मशीनीकृत रोपण एवं कटाई उपकरण निरंतर अनुसंधान एवं विकास पहलों का परिणाम हैं। इसके अलावा, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम मूल्य संवर्धन और विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं, जैसे बायोएथेनॉल उत्पादन, खोई से बिजली का सह-उत्पादन और गन्ना-आधारित जैव-निम्नीकरणीय उत्पादों का विकास। ये पहल न केवल चीनी मिलों की परिचालन दक्षता बढ़ाती हैं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देती हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और एनएफएसएम जैसी योजनाओं के तहत सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खेत पर प्रदर्शनों और विस्तार सेवाओं के माध्यम से नवाचारों को प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे समग्र गन्ना मूल्य श्रृंखला मजबूत हो।

तालिका 1. 2020 में घरेलू E5, E10 और E20 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में इथेनॉल, गुड़ और गन्ने के उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा

उत्पादन	इथेनॉल (एमएल)	इथेनॉल के लिए गुड़ (एमएमटी)	इथेनॉल के लिए गन्ना (एमएमटी)	सह-उत्पाद के रूप में चीनी (एमएमटी)	गन्ना उपज (मीट्रिक टन/हेक्टेयर)	इथेनॉल के लिए गन्ना क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)
आधाररेखा	2,777	11.00	278	27.77	73.75	3.77
5%	844	3.38	84	8.44	—	1.14

10%	3,085	12.34	308	30.85	—	4.18
20%	7,566	30.27	757	75.66	—	10.26

वर्तमान नीति के तहत, केवल चीनी उत्पादन के दौरान प्राप्त शीरे का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया जा सकता है। तालिका 1 में सिमुलेशन परिणाम दर्शाते हैं कि 2020 में E20 मिश्रण अधिदेश को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 10.26 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। क्या भारत में गन्ना उत्पादन के लिए इतनी अतिरिक्त भूमि का उपयोग करना संभव है? शायद नहीं।

हालाँकि, 5 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना संभव है, क्योंकि मिल मालिक सरकारी सहायता कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं और गन्ना किसानों को अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं। अल्पावधि में, गन्ने के रकबे में भारी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान अधिशेष स्टॉक को इथेनॉल में उपयोग के लिए सुरक्षित रूप से समाप्त किया जा सकता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2020 तक 20 प्रतिशत अधिदेश को पूरा करने के लिए 30 मिलियन मीट्रिक टन शीरे की आवश्यकता होगी, और इसके उत्पादन से बाजार में 75.7 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी मिल सकती है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में चीनी की कीमतें गिर सकती हैं। इस प्रकार, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के वर्तमान लक्ष्यों के गंभीर अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

स्थानीय किसानों का वर्गीकरण

स्थानीय किसानों का वर्गीकरण कृषि पद्धतियों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और कृषक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसान एक समरूप समूह नहीं हैं; वे भूमि जोत के आकार, संसाधनों, खेती के तरीकों, आर्थिक स्थिति, शिक्षा के स्तर और प्रौद्योगिकी तक पहुँच में भिन्न होते हैं। किसानों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करके, नीति निर्माता, कृषि विशेषज्ञ और विकास एजेंसियाँ उत्पादकता, आय और स्थिरता में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप तैयार कर सकती हैं।

व्यापक रूप से, किसानों को भूमि जोत के आकार के आधार पर पाँच समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: सीमांत किसान, छोटे किसान, अर्ध-मध्यम किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। सीमांत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है और वे अक्सर निर्वाह खेती में लगे रहते हैं, मुख्य रूप से घरेलू उपभोग के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। उनकी सीमित भूमि और पूँजी उन्हें फसल विफलताओं, जलवायु परिवर्तन और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। 1-2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसान आमतौर पर घरेलू जरूरतों और स्थानीय बाजारों दोनों के लिए उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय बाधाओं के कारण उन्नत कृषि तकनीक अपनाने में चुनौतियों का सामना करते हैं।

2-4 हेक्टेयर ज़मीन वाले अर्ध-मध्यम किसानों की मशीनीकरण, सिंचाई सुविधाओं और फ़सल विविधीकरण के अवसरों तक पहुँच थोड़ी बेहतर होती है। वे उच्च मूल्य वाली फ़सलों या व्यावसायिक खेती के साथ प्रयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं, हालाँकि उन्हें अभी भी अनियमित मौसम और बाज़ार की अस्थिरता का जोखिम रहता है। 4-10 हेक्टेयर ज़मीन वाले मध्यम किसान अक्सर व्यावसायिक रूप से उन्मुख होते हैं, संस्थागत ऋण तक उनकी

पहुँच बेहतर होती है, और वे आधुनिक कृषि उपकरण, उर्वरक और उन्नत बीजों को अपना सकते हैं। वे कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर ढंग से एकीकृत होते हैं और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठा सकते हैं।

10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन वाले बड़े किसान आमतौर पर बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन, अनुबंध खेती या कृषि-व्यवसाय उपक्रमों में लगे होते हैं। उनके पास उन्नत सिंचाई प्रणालियों, सटीक कृषि तकनीकों और फ़सल-उपरांत भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए संसाधन होते हैं, जिससे उन्हें घरेलू और निर्यात दोनों बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।

इन श्रेणियों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक समूह की ज़रूरतें और चुनौतियाँ काफी भिन्न होती हैं। सीमांत और छोटे किसानों को लक्षित सब्सिडी, कम ब्याज दर वाले ऋण, फसल बीमा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता हो सकती है, जबकि मध्यम और बड़े किसानों को बाज़ार संपर्क, निर्यात सुविधा और उन्नत तकनीक अपनाने से अधिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा, जोत का आकार किसान की सूखा, बाढ़, कीटों के हमले या बाज़ार मूल्य में अचानक गिरावट जैसे झटकों को झेलने की क्षमता को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में गन्ना भुगतान की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। गन्ना भुगतान किसानों की आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि निवेश तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अध्ययन में यह पाया गया कि समय पर और पूर्ण भुगतान मिलने से किसानों की नकदी स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे वे बीज, खाद, सिंचाई और तकनीकी साधनों में निवेश कर पाते हैं तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, भुगतान में देरी किसानों के लिए अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न करती है। विलंबित भुगतान के कारण किसानों को अनौपचारिक ऋण लेने, ऊँचे ब्याज का बोझ उठाने और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसका प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि छोटे और सीमांत किसान भुगतान विलंब से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणाली और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और औपचारिकता तो बढ़ी है, किंतु तकनीकी सीमाएँ, जागरूकता की कमी और प्रशासनिक शिथिलता के कारण सभी किसानों को इसका समान लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः गन्ना भुगतान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना, चीनी मिलों की जवाबदेही बढ़ाना, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा किसानों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि गन्ना भुगतान प्रणाली को किसान-हितैषी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए, तो इससे न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन-स्तर में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास को भी दीर्घकालिक मजबूती प्राप्त होगी।

संदर्भ

1. भारतीय खाद्य निगम। (2021)। *चीनी क्षेत्र की नीतियाँ और भुगतान तंत्र* भारत सरकार।
2. रेड्डी, के.वी. (2018)। गन्ना किसानों की आय सुरक्षा: चुनौतियाँ और अवसर। *इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट*, 14(2), 227–235।
3. अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। (2020)। *विश्व चीनी संतुलन और गन्ना भुगतान मॉडल* लंदन: आईएसओ।
4. सिंह, ए., एवं चौहान, आर. (2017)। गन्ना भुगतान में देरी और किसानों की आजीविका पर उनका प्रभाव। *रूरल इंडिया रिसर्च जर्नल*, 10(1), 51–63।
5. भारत सरकार। (1966)। *चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966*। विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. विश्व बैंक। (2021)। *भारत का चीनी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: नीतिगत चुनौतियाँ* वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक प्रकाशन।